**झारखंड उच्च न्यायालय, राँची**

**आपराधिक विविध याचिका सं. 3222 / 2023**

सहीम अहमद @ साहिम अहमद, उम्र लगभग 49 वर्ष, पिता;- जहीर अहमद, निवासी एच-15/42, जाकिर नगर, जामिया नगर ओखला , न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दक्षिण दिल्ली, डाकघर + थाना- जामिया नगर, जिला- दिल्ली, दिल्ली

.....याचिकाकर्ता

*बनाम*

झारखंड राज्य .....उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अनुज कुमार त्रिवेदी, अधिवक्ता
श्री रोहित कुमार गुप्ता, अधिवक्ता
श्री शुभम कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री शैलेंद्र कुमार तिवारी, विशेष पीपी

---

**<u>उपस्थित</u>**

**माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी**

***अदालत द्वारा:-*** दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए 19.07.2023 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की गई है, उसकी संतुष्टि दर्ज किए बिना कि याचिकाकर्ता फरार है या अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छुपा रहा है और बिना कोई समय तय किए और भारतीय दंड संहिता

की धारा 420, 406, 506 और परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज खूंटी वाद सं.178 /2022 के संबंध में उक्त आदेश में याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए स्थान, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खूंटी की अदालत में लंबित है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उक्त उद्घोषणा दिनांक 19.07.2023 के आदेश के माध्यम से बिना कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए और इस संतुष्टि को दर्ज किए बिना जारी की गई है कि याचिकाकर्ता फरार है या अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छुपा रहा है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने के लिए एक *अनिवार्य शर्त* है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 19.07.2023 का आदेश जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खूंटी द्वारा खूंटी वाद सं.178/2022 के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ उद्घोषणा जारी की गई है, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खूंटी की अदालत में लंबित है; कानून के अनुसार नहीं होने के कारण, रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

4. राज्य की ओर से पेश विद्वान विशेष पीपी दिनांक 19.07.2023 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना का जोरदार विरोध करते हैं, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ खूंटी वाद सं.178 / 2022 के संबंध में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खूंटी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की गई है और प्रस्तुत करता है कि यह तथ्य कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की है, यह दर्शाता है कि सामग्री उपलब्ध थी विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए अभिलेख में संतुष्ट होने के लिए कि इस तरह की उद्घोषणा जारी करने का औचित्य है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस आपराधिक विविध याचिका को बिना किसी योग्यता के खारिज कर दिया जाए।

5. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है

कि अब तक यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि अदालत जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करती है, उसे अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए कि अभियुक्त जिसके संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत घोषणा की गई है, अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार है या खुद को छुपा रहा है और यदि अदालत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने का फैसला करती है, तो उसे याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए समय और स्थान का उल्लेख उसी आदेश में करना चाहिए जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की गई है। जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खूंटी ने न तो अपनी संतुष्टि दर्ज की है कि याचिकाकर्ता फरार है या अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है और न ही याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए कोई समय या स्थान तय किया है, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खूंटी ने कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किए बिना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उक्त उद्घोषणा जारी करके अवैधता की है। इसलिए, यह कानून में टिकाऊ नहीं है और इसे जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यह एक उपयुक्त मामला है जहां दिनांक 19.07.2023 का आदेश जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ याचिकाकर्ता के खिलाफ विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खूंटी द्वारा खूंटी वाद सं.178 /2022 के संबंध में उद्घोषणा जारी की गई है, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खूंटी, की अदालत में लंबित है, रद्द कर दिया जाए और अलग रख दिया जाए।

6. तदनुसार, दिनांक 19.07.2023 का आदेश जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खूंटी द्वारा खूंटी वाद सं.178/2022 के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ उद्घोषणा जारी की गई है, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खूंटी की अदालत में लंबित है, को रद्द किया जाता है और अलग किया जाता है।

7. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खूंटी कानून के अनुसार एक नया आदेश पारित कर सकते हैं।

8. समापन करने से पहले यहां यह उल्लेख करना उचित है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खूंटी ने लापरवाही से और बिना दिमाग लगाए कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किए बिना दिनांक 19.07.2023 को उक्त आदेश पारित किया है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि न्यायिक अधिकारियों का ऐसा लापरवाह और लापरवाह रवैया अनावश्यक रूप से इस न्यायालय पर बोझ बढ़ा रहा है। इसलिए, न्यायिक अधिकारियों के ऐसे आचरण पर रोक लगनी चाहिए। इसलिए, प्रधान जिला न्यायाधीश, खूंटी को निर्देश दिया जाता है कि वे खूंटी के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पर इस तरह के अवैध आदेश पारित न करने के लिए दबाव डालें।

9. इस आदेश की एक प्रति अनुपालन के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश, खूंटी को भेजी जाए।

10. परिणाम में, इस आपराधिक विविध याचिका की अनुमति है।

**(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाo.)**

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
4 जनवरी, 2024 को दिनांकित किया
ए. एफ. आर./ अनिमेश

**यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।**